विद्युत सुरक्षा निदेशालय

क्रमांक-

कार्यपूरक प्रमाण-पत्र

(राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त-ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा।)

उपभोक्ता/स्वामी का नाम बृजपाल

पिता/पति का नाम श्री उमाशंकर

पता

परिसर की अवस्थिति ग्राम-गहटौली पो0-देवगाँव ब्लाक-छत्तरपुर जनपद-हमीरपुर

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली-

(१) वोल्टता 400/440V

(२) कलाओं (फेजों) की संख्या Three Phase

(३) ए.सी./डी.सी. A.C

वायरिंग का प्रयोजन -

वायरिंग का प्रकार (बैटन कन्ड्यूट इत्यादि)

संस्थापना की विशिष्टियाँ P.V.C. Batten Wiring

	२००/२३० वोल्ट्स						४००/४४० वोल्ट्स		उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थापन	
	फेज १		फेज २		फेज ३					
	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता

१-

(१) बत्तियों के प्वाइंट 10 H.P

(२) पंखों के प्वाइंट

(३) मोटरें/जनरेटर्स

(पूर्ण ब्यौरा दिया जाये)

योग- योग- 10 H.P

२- अन्य उपस्कार (पूरा ब्यौरा दिया जायें)

१-

२-

कुल संयोजित भार किलोवाट में-

अधिकतम करेंट मांग एम्पियर में

कुल संयोजित भार के आधार पर

Scanned with CamScanner

विद्युत (रिसाव विद्युत रोधी कम से कम एक मेगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मात्रक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट जाये)

ठेकेदार द्वारा विद्युत रोधी के परीक्षण का परिणाम-

(१) फेज एवं अर्थ के बीच	फेज-१ व अर्थ	फेज-२ व अर्थ	फेज-३ व अर्थ
			00
(२) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच-	फेज १ व २	फेज २ व ३	फेज ३ व १
(३) तारों के मध्य-			00

नियम २६ :-

(१) बतायें कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार सहित के अनुसार है। Yes

(२) बतायें कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विची द्वारा नियंत्रित है। Yes

(३) बतायें कि समस्त स्विच विद्युत मान्य (जीवान्त) चालकों पर लगाये गये हैं। Yes

नियम ३२ :-

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थ वायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति सूचक लगाया है जिससे कि ऐसे चालक की विद्युतमय (जीवान्त चालक) से सुभिन्न किया जा सके। Yes

सत्यापन प्रमाण-पत्र

मैं/हम........................लाइसेन्स प्राप्त विद्युत ठेकेदार, लाइसेन्स संख्या....HPAR-21........

निम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं।

(अ) कि पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है।

(ब) पूरोक्त अंकित संस्थापन का विद्युत रोधी परीक्षण मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।

(स) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम, १९५६ एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।

(द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाप द्वारा किया गया है।

वायरमैन का नाम....Vinay Kumar....परमिट सं०....47232....वैधता की तिथि....18/1/2025

हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम................................ प्रमाण पत्र सं० .... वैधता की तिथि..................

हस्ताक्षर

प्रेन्टिस का नाम एवं हस्ताक्षर............................

....

विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम

लाइसेन्स संख्या...dlmr/21...............

लाइसेन्स श्रेणी...C-class...............

वैधता का दिनांक...31 March 2024...............

ठेकेदार के हस्ताक्षर

M/s.-Mohit Electricals

Proprietor

घोषणा

(उपभोक्ता द्वारा की जाय)

मै प्रमाणित करता हूं कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, १९५६के प्रावधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता...15 Amp...
.... एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक..........................

परिक्षण रिपोर्ट

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

विद्युतरोधी प्रतिरोधी का परिणाम–

(१) फेज एवं अर्थ के बीच	फेंज-१ व अर्थ	फेंज-२ व अर्थ	फेज-३ व अर्थ
(२) तार के बीच-	फेंज-१ व २	फेंज-२ व ३	फेंज-३ व १

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियां (यदि कोई हो) एक कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही :-

१-

२-

३-

४-

दिनांक...............

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर
पद नाम

Scanned with CamScanner